निग० 3890-चार/13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - शिवपुरी

प्रकरण कमांक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.15	यह पुनरीक्षण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण में विवाद यह है कि आवेदनगण जो कि आदिवासी है ने अपने स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 17,19,21,23,36,37, 39,41,44,45,46,एवं 57 कुल किता 12 को विकय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह अपनी उक्त भूमि को विकय करना चाहता है क्योकि वह अपने मूल ग्राम रोशन टपरिया जिला-विदिशा में सपरिवार रहने चला गया है इस कारण से वह भूमि की देखभाल नही कर सकता है, तथा भूमि को विकय कर उससे प्राप्त राशि से अपने मूल ग्राम में भूमि कय करना चाहता है, कलेक्टर शिवपुरी द्वारा पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन मंगाया गया, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में भूमि विकय की अनुमति दिये जाने की अनुशसा की कलेक्टर शिवपुरी द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण द्वारा चाही गयी सम्पूर्ण भूमि के विकय की अनुमति के स्थान पर मात्र 3 हेक्टेयर भूमि विकय की अनुमति दी गयी तथा अनुमति में सर्वे कमांक 10, 11, 22, 38, एवं 40 का उल्लेख किया गया आवेदकगण ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कि विवादित आदेश द्वारा निरस्त होने पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदकगण द्वारा ग्राम बैरखेडी तहसील कोलारस जिला-शिवपुरी के जिन सर्वे कमांको का अल्लेख करते हुए तथा अपने आवेदन पत्र में उन कारणों का उल्लेख किया गया था कि वह क्यो अपनी भूमि का विकय करना चाहता है, आवेदक अपने मूत ग्राम-रोशन	

(हस्ताक्षर)

सम्पूर्ण भाग को विक्रय करने की अनुमति चाही गयी थी, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपने जॉच प्रतिवेदन में उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गयी है, कलेक्टर ने भी उक्त अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की किन्तु आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन पत्र में वर्णित सर्वे कमांको से हटकर मात्र 3 हेक्टेयर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी है, आवेदकगण गण द्वारा अपने आवेदन पत्र में भूमि विक्रय करने का जो कारण उल्लेखित किया है कि वह अपने मूल ग्राम रोशन टपरिया जिला–विदिशा में रहने चला गया है । अतः उसके लिये ग्राम–बैरखडी की भूमि की देखभाल करना सम्भव नही है, कलेक्टर द्वारा तथा अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर अपने आदेश में विचार नही किया है, इस कारण से आवेदक अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए कलेक्टर के आदेश में इस आशय का संशोधन किया जाता है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में वर्णित सर्वे कमांको के स्थान पर आवेदकगण द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सर्वे कमांको के सम्पूर्ण रकबे के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है तथा कलेक्टर के द्वारा अपने आदेश में वर्णित शर्त कमांक–1 के अनुसार विक्रय पत्र सम्पादित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण राशि आवेदकगण के बैक खाते में जमा कराना होगी,

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है,

(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य–पीठ
लोक अदालत

(एम0के0सिंह)
अध्यक्ष–पीठ
लोक अदालत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण R 3890 III/13

1. खित्ता पुत्र भैयन
2. कारेलाल पुत्र उदुआ

निवासी ग्राम–बेरखेड़ी तहसील–कोलारस

जिला--शिवपुरी

दिनांक 28-10-13 को श्री मुकेश ... अभि० द्वारा प्रस्तुत।
28-10-2013
A.S.O

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 497/10–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 24–04–2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू.–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

28/10/13

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, कलेक्टर महोदय ने आवेदकगण के आवेदन को देखे बिना विवादित आदेश पारित किया है आवेदकगण ने अपने आवेदन के पद–1 में अपनी संपूर्ण भूमि के सर्वे क्रमांकों का तथा उनके संपूर्ण क्षेत्रफल 10.40 हेक्टेयर का उल्लेख कर अपनी संपूर्ण भूमि को विक्रय करने की अनुमति चाही थी। कलेक्टन ने आवेदन के पद–1 में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल को देखे बिना मात्र 3 हेक्टेयर भूमि का विक्रय अनुमति प्रदान करने में गंभीर भूल की है.

3. यह कि, आवेदकगण की भूमि के सर्वे क्रमांक 17, 19, 21, 23, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, एवं 57 कुल किता 12 है जब कि भूमि विक्रय की अनुमति सर्वे क्रमांक 10, 11, 22, 38, एवं 40 की प्रदान की गयी है। जिन सर्वे क्रमांकों को विक्रय करने की अनुमति दी गयी है वह अपीलार्थीगण के है ही नहीं.